उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 | अंक 8 | 16-30 अप्रैल 2025 | ₹ 20/-

पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों की हत्या

- सिविल सेवा परीक्षा में मुस्लिम अभ्यर्थियों की संख्या में गिरावट
- ईरान में 33 बलूचों को फांसी
- ईरान के बंदरगाह पर हुए धमाके में सैकड़ों मरे
- एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में संशोधन पर विवाद

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों की हत्या 04
सिविल सेवा परीक्षा में मुस्लिम अभ्यर्थियों की संख्या में गिरावट 07
एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में संशोधन पर विवाद 10
उर्दू के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 12
शरिया अदालतों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 14

विश्व

ईरान में 33 बलूचों को फांसी 16
अमेरिका सऊदी अरब को हथियार बेचने के लिए तैयार 17
पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर खूनी झड़पें 18
पाकिस्तान से चार लाख अफगान नागरिकों का निष्कासन 19
मोहम्मद यूनुस भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त 20

पश्चिम एशिया

ईरान के बंदरगाह पर हुए धमाके में सैकड़ों मरे 21
जॉर्डन में इख्वानुल मुस्लिमीन पर प्रतिबंध 22
गाजा में युद्धविराम का नया फॉर्मूला 24
हूती विद्रोहियों के खिलाफ अभियान 25
सऊदी अरब में हज की शुरुआत 27

सारांश

आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल पहलगाम की बैसरन घाटी में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी। आतंकवादियों ने पर्यटकों को नाम और धर्म पूछकर अपना निशाना बनाया। आतंकवादियों ने हिंदुओं की पहचान करके उनकी बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी। इस आतंकवादी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है। इस संबंध में अब तक 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस घटना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष ने कहा है कि वह आतंकवादियों के उन्मूलन और उनको संचालित करने वाली ताकतों के खिलाफ कार्रवाई में मोदी सरकार के साथ एकजुटता से खड़ा है। भारत सरकार ने देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं और उन्हें तुरंत देश छोड़ने का निर्देश दिया है। सरकार ने 1960 में हुए सिंधु जल बटवारा समझौते को भी रद्द कर दिया है। सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई अन्य महत्त्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी दी है कि अगर भारत पाकिस्तान को सप्लाई किए जाने वाले पानी को रोकता है तो पाकिस्तान भारत पर हमला कर देगा। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान सरकार ने अपनी वायु सीमा में भारतीय एयरलाइंस के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2024 में सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। इन परीक्षाओं में कुल 1009 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इस साल सफल होने वाले मुस्लिम अभ्यर्थियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इस साल सिर्फ 26 मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनमें नौ महिलाएं हैं। हालांकि, कुछ अखबारों ने सफल होने वाले मुस्लिम अभ्यर्थियों की संख्या 31 बताई है। पिछले साल 51 मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए थे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की आवासीय कोचिंग अकादमी से प्रशिक्षण लेने वाले 32 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं, जकात फाउंडेशन के केंद्र से 15 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है।

हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर अंधाधुंध बमबारी की है। इस हमले में कई लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि अफगानिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने अनेक बार पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि उसकी सेना ने 100 से अधिक अफगान घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया है। इस कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 34 सैनिक भी मारे गए हैं। पाकिस्तान ने अफगान मूल के चार लाख से अधिक नागरिकों को अफगानिस्तान की सीमा में जबरन धकेल दिया है। अफगान सरकार ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। अफगानिस्तान सरकार का दावा है कि पाकिस्तान ने अफगान मूल के जिन 40 लाख शरणार्थियों को अपने देश से निष्कासित करने का फैसला किया है उनमें से 15 लाख पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे।

ईरान के प्रमुख बंदरगाह शाहिद राजाई पर हुए भीषण विस्फोट में लगभग 100 लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ईरान सरकार का आरोप है कि इस घटना के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। ईरान सरकार का दावा है कि मोसाद ने उसके अनेक नेताओं, वैज्ञानिकों और सैनिकों को मौत के घाट उतारा है ताकि उसके परमाणु कार्यक्रम को पंगु बनाया जा सके।

पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों की हत्या

चट्टान (23 अप्रैल) के अनुसार सेना की वर्दी में आए आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के विख्यात पर्यटन स्थल पहलगाम की बैसरन घाटी में अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हमले में कम-से-कम 26 लोग मारे गए और दो दर्जन से अधिक घायल हो गए। मरने वालों में एक विदेशी पर्यटक और एक कश्मीरी युवक भी शामिल है। एक पीड़ित पर्यटक पल्लवी ने संवाददाताओं को बताया कि नकाबपोश आतंकवादियों ने पहले पुरुष पर्यटकों से नाम व धर्म पूछा और उन्हें जबरन कलमा पढ़ने के लिए कहा। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें आतंकवादियों ने गोली मार दी। पल्लवी ने बताया कि "आतंकवादी चुन-चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रहे थे। उन्होंने मेरे पति की भी हत्या कर दी। जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे भी मार दो तो उनमें से एक आतंकवादी ने कहा कि मैं तुम्हे नहीं मारूंगा। जाओ मोदी को बता देना।"

उर्दू टाइम्स (23 अप्रैल) के अनुसार इस घटना की सूचना मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तत्काल मौके पर पहुंच गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति सहित सभी पार्टियों के नेताओं ने इस आतंकवादी हमले की निंदा की है और इसे कायराना हमला बताया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मासूम लोगों की हत्या करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हम धरती के अंतिम छोर तक उन आतंकवादियों का पीछा करेंगे और उन्हें सख्त सजा देंगे। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने घटनास्थल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की। उन्होंने मांग की कि सरकार लंबे चौड़े दावे करने के बजाय ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है।

इस आतंकवादी हमले के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों में सभी समुदायों के लोगों ने भाग लिया और पहलगाम हमले की निंदा की। उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। जिस देश के इशारे पर मासूम लोगों के खून से होली

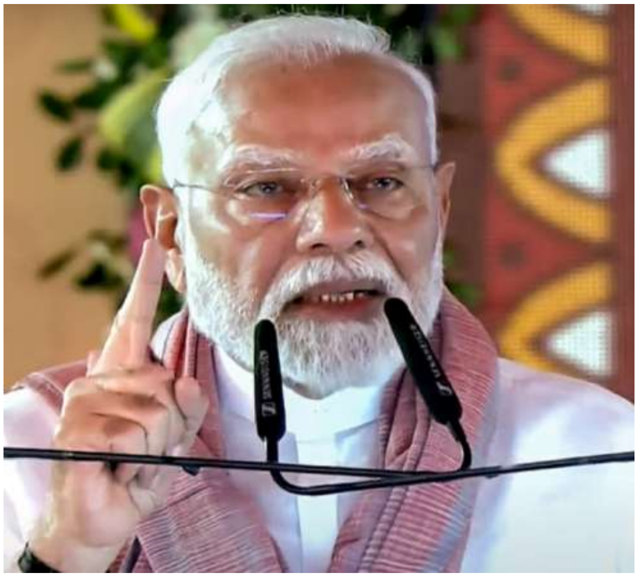

खेली गई है उसे सबक सिखाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी अपने सऊदी अरब दौरे को अधूरा छोड़कर वापस स्वदेश लौट आए हैं।

उर्दू टाइम्स (25 अप्रैल) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकवादियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। मोदी ने कहा कि आतंकवादियों ने देश की आत्मा पर हमला किया है। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को संदेश भेजने के लिए अंग्रेजी में भी भाषण दिया।

इंकलाब (25 अप्रैल) के अनुसार सरकार ने सर्वदलीय बैठक में स्वीकार किया कि पहलगाम हमले में सुरक्षा में चूक हुई है। विपक्ष ने सरकार को यह आश्वासन दिया है कि सरकार पहलगाम हमले के जवाब में जो भी कार्रवाई करेगी उसके साथ पूरा विपक्ष एकजुटता से खड़ा है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से अपील की है कि वे जुमे की नमाज अदा करते वक्त पहलगाम हमले के विरोध में अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधे।

एक अन्य समाचार के अनुसार भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने 20 देशों के राजदूतों को पहलगाम हमले से अवगत कराया है। भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का फैसला किया है। इस संधि के तहत पाकिस्तान को तीन नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात पाकिस्तानी थल सेना, नौसेना और वायु सेना के सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की घोषणा की गई है। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा पर भी रोक लगा दी है। जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं उन्हें फौरन अपने देश लौटने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत ने अटारी बॉर्डर को भी बंद करने का फैसला किया है।

इसकी जवाबी कार्रवाई के रूप में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि 1971 के युद्ध के बाद 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। इस समझौते में दोनों देशों ने एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता का सम्मान करने और सभी विवादों को द्विपक्षीय रूप से हल करने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने भारतीय जहाजों के लिए अपनी वायु सीमा बंद कर दी है। पाकिस्तानी मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की है कि अगर भारत पाकिस्तान को मिलने वाला

पानी रोकता है तो इसे पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध माना जाएगा।

रोजनामा सहारा (26 अप्रैल) के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम में मासूम पर्यटकों की हत्या करने वाले पांच आतंकवादियों की तस्वीर जारी की है। भारत सरकार ने दावा किया है कि हमला करने वालों में कम-से-कम तीन पाकिस्तानी और दो स्थानीय आतंकवादी शामिल थे।

रोजनामा सहारा (27 अप्रैल) के अनुसार पहलगाम हमले के बाद देशभर में विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। गुजरात में एक हजार से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें वापस उनके देश भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग एक हजार पाकिस्तानी नागरिक अपने देश लौट गए हैं।

इंकलाब (28 अप्रैल) के अनुसार जम्मू-कश्मीर विधानसभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और पहलगाम हमले की निंदा की गई।

इंकलाब (29 अप्रैल) के अनुसार भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी डिजिटल कार्रवाई करते हुए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। सरकार ने यह आरोप लगाया है कि ये यूट्यूब चैनल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। इसके साथ ही भारत सरकार ने 'बीबीसी' को भी नोटिस जारी किया है। भारत सरकार ने पहलगाम हमले पर उसकी रिपोर्टिंग को पक्षपातपूर्ण करार दिया है। सरकार ने बीबीसी द्वारा आतंकवादियों को 'चरमपंथी' कहने पर भी आपत्ति जताई है।

एक अन्य समाचार के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर सरकार ने पर्यटकों के लिए जम्मू-कश्मीर के 48 पर्यटन केंद्रों को बंद करने का फैसला किया है।

रोजनामा सहारा (30 अप्रैल) के अनुसार देशभर में 50 से अधिक लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्होंने सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ प्रचार किया था और कहा था कि सरकार इस आतंकवादी हमले का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। सबसे ज्यादा असम में 30 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें एक विधायक और कुछ पत्रकार भी शामिल हैं।

इंकलाब (25 अप्रैल) के अनुसार इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को शर्मनाक बताया है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को भी अपना निशाना बनाया है। रजा ने कहा कि अगर ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे तो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने पर्यटकों को धर्म पूछकर निशाना बनाया है। उनका उद्देश्य हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काना और देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा करना है।

उर्दू के सभी अखबारों ने अपने संपादकीय में पहलगाम हमले की निंदा की है। इन संपादकीय में आतंकवादियों के उन्मूलन हेतु कठोर कार्रवाई

करने पर जोर दिया गया है। उर्दू अखबारों ने अपने संपादकीय में कहा है कि जिनके इशारे पर इन आतंकवादियों ने मासूम पर्यटकों का खून बहाया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

सिविल सेवा परीक्षा में मुस्लिम अभ्यर्थियों की संख्या में गिरावट

इंकलाब (23 अप्रैल) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2024 में सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। इन परीक्षाओं में कुल 1009 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे ने पहली रैंक हासिल की है। जबकि हर्षिता गोयल ने दूसरी रैंक हासिल की है। वहीं, डोंगरे अर्चित पराग ने तीसरी रैंक हासिल की है। दूसरी ओर, इन परीक्षाओं में सफल होने वाले मुस्लिम अभ्यर्थियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। पिछले साल सिविल सेवा परीक्षा में 51 मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए थे। इस साल सिर्फ 26 मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए हैं। शीर्ष 30 में एक भी मुस्लिम अभ्यर्थी शामिल नहीं है। इस साल की परीक्षा में नौ मुस्लिम महिलाएं सफल हुई हैं। जबकि पिछले साल इनकी संख्या 19 थी। इस साल के परीक्षाओं में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की आवासीय कोचिंग अकादमी से 32 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जबकि जकात फाउंडेशन के केंद्र से 15 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है।

सिविल सेवा परीक्षा 2024 में सफल मुस्लिम अभ्यर्थियों के नाम निम्नलिखित हैं।

क्र.सं.	नाम	रैंक
1	इरम चौधरी	40
2	फरखंदा कुरैशी	67
3	मोहम्मद मुनीब भट	131
4	अदीबा अनम	142
5	वसीम उर रहमान	281
6	मोहम्मद नायाब अंजुम	292
7	मोहम्मद हारिस मीर	314
8	मोहम्मद शौकत अजीम	345
9	अलीफा खान	417
10	नादिया अब्दुल रशीद	429
11	नजमा ए. सलाम	442
12	शकील अहमद	506
13	शाह मोहम्मद इमरान	553
14	मोहम्मद आफताब आलम	560
15	मोहसिना बानो	585
16	सैय्यद मोहम्मद आरिफ मोईन	594
17	गुलाम हैदर	633
18	हसन खान	643
19	घांची गजाला मोहम्मद हनीफ	660
20	मुहम्मद सलाह टीए	711
21	सदाफ मलिक	742
22	यासर अहमद भट्टी	768
23	जावेद मेव	815
24	नजीर अहमद बिजरान	847
25	अरशद अजीज कुरैशी	993
26	इकबाल अहमद	998

मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने सफल मुस्लिम अभ्यर्थियों की संख्या में गिरावट पर चिंता प्रकट की है। पिछले साल कुल सफल अभ्यर्थियों में मुसलमानों की भागीदारी 5 प्रतिशत थी, इस बार घटकर तीन प्रतिशत रह गई है। जबकि देश की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की भागदारी 18 प्रतिशत है। पिछले साल शीर्ष के 10 अभ्यर्थियों में

दो मुसलमान शामिल थे। जबकि इस बार सबसे अधिक अंक पाने वाली इरम चौधरी 40वीं रैंक पर है। इरम चौधरी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की आवासीय कोचिंग अकादमी में प्रशिक्षण ली थी।

इन परीक्षा परिणामों पर टिप्पणी करते हुए जकात फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. सैयद जफर महमूद ने कहा है कि इस साल मेंस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या पिछले साल से ज्यादा है, लेकिन इंटरव्यू में वे सफल नहीं हो पाए हैं। महमूद ने कहा कि इन परीक्षाओं में सिर्फ एक हजार लोग ही चुने जाते हैं। अगर मुसलमान उत्थान व विकास चाहते हैं तो उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के साथ-साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी ध्यान देना होगा। हाल ही में देश के 19 राज्यों के लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालयों में हजारों पद खाली हुए हैं। मुस्लिम अभ्यर्थियों को इन परीक्षाओं पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। डॉ. महमूद ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी चयन आयोग में हर साल 50 हजार कर्मचारियों का चयन होता है, लेकिन हम इस पर कोई ध्यान नहीं देते।

औरंगाबाद टाइम्स (23 अप्रैल) के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 1009 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। इनमें 725 पुरुष और 284 महिलाएं हैं। सफल अभ्यर्थियों में से आईएएस के लिए 180, भारतीय विदेश सेवा के लिए 55, भारतीय पुलिस सेवा के लिए 147, केंद्रीय सेवा ग्रुप ए के लिए 605 और ग्रुप बी के लिए 142 अभ्यर्थी चुने गए हैं।

रोजनामा सहारा (2 मई) ने दावा किया है कि इन परीक्षाओं में सफल होने वाले मुस्लिम अभ्यर्थियों की संख्या 31 है। नसरीन पी. फासिम, रियाज वाट्सन जे, पीरजादा एम उमर, अबुसालिया खान कुलकर्णी और आदिल शुकूर के नाम नई सूची में शामिल किए गए हैं।

उर्दू टाइम्स (22 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल द्वारा मुस्लिम विरोधी अभियान के बावजूद इन परीक्षाओं में सफल होने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों को हम मुबारकबाद देते हैं। समाचारपत्र ने आशा व्यक्त की है कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में शामिल होने वाले ये अभ्यर्थी मुसलमानों के साथ न्याय करने का प्रयास करेंगे।

हिंदुस्तान (24 अप्रैल) ने कहा है कि अगर उच्च पदों में मुसलमानों की संख्या नगण्य है तो इसके लिए मुसलमान ही दोषी हैं। उन्हें सैर सपाटा और फिजूलखर्ची से फुर्सत नहीं मिलती। अजीब बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़े राज्यों में गिने जाने वाले बिहार से सबसे अधिक मुस्लिम अभ्यर्थी चुने जाते हैं। जबकि महाराष्ट्र जैसे विकासशील राज्य से सफल होने वाले मुस्लिम अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम होती है। जरूरत इस बात की है कि मुस्लिम छात्र-छात्राएं अपने समुदाय की दयनीय स्थिति को समझें और इन परीक्षाओं में भाग लेने पर विशेष ध्यान दें।

अवधनामा (25 अप्रैल) ने कहा है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल की मुस्लिम दुश्मनी

जगजाहिर है। ऐसे में यह जरूरी है कि मुसलमान देश के प्रशासन में अपना उचित स्थान प्राप्त करने हेतु पूरी गंभीरता से प्रयास करें। हालांकि, यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि मुस्लिम अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेने वाले लोग मुस्लिम दुश्मनी से ग्रसित होते हैं। यही कारण है कि इंटरव्यू में काफी मुस्लिम अभ्यर्थियों को फेल कर दिया जाता है।

उर्दू टाइम्स (24 अप्रैल) ने कहा है कि रसूल पाक ने मुसलमानों को यह निर्देश दिया है कि वे अपनी शिक्षा की ओर सबसे ज्यादा ध्यान दें। अगर मुसलमान सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे तो वे मुसलमानों के खिलाफ देशभर में हो रहे अन्याय और शोषण के माहौल को कम करने में सफल होंगे।

टिप्पणी: देश के प्रशासनिक ढांचे में मुसलमानों के घटते प्रतिनिधित्व पर कई दशकों से चिंता व्यक्त की जा रही है। 1983 में भारत सरकार ने उच्च सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के बारे में अध्ययन करने के लिए डॉ. गोपाल सिंह कमेटी का गठन किया था। इस रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि देश के प्रशासनिक ढांचे में सिखों और ईसाइयों का योगदान संतोषजनक है। जबकि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लगातार घट रहा है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश में आईएएस अधिकारियों की कुल संख्या 3975 है। इनमें से 165 सिख, 128 मुसलमान और 109 ईसाई हैं। आईपीएस अधिकारियों की कुल संख्या 2159 है, जिनमें से 117 सिख, 57 मुसलमान और 49 ईसाई हैं। वहीं, आईएएस में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 3.22 और आईपीएस में 2.64 है। जबकि देश में मुसलमानों की जनसंख्या 12 प्रतिशत है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1981 से लेकर 2000 तक भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 3.15 प्रतिशत था। जबकि भारतीय पुलिस सेवा में इनका प्रतिनिधित्व दो प्रतिशत ही था। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर राजेंद्र सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला था कि अखिल भारतीय सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या की तुलना में काफी कम है।

आंकड़ों के अनुसार साल 2016 में सिविल सेवा परीक्षा में सबसे अधिक 52 मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसके बाद 2023 में 51 मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए थे। जबकि 2009 में 31, 2010 में 21, 2011 में 31, 2012 में 30, 2013 में 34, 2014 में 38, 2015 में 34, 2017 में 50, 2018 में 28, 2019 में 44, 2020 में 31, 2021 में 25 और 2022 में 29 मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए थे। खास बात यह है कि देश के 10 मुस्लिम संस्थानों द्वारा मुस्लिम अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु 51 केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें इन मुस्लिम अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त आवास, भोजन एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ-साथ इनके मार्गदर्शक के रूप में सेवानिवृत्त मुस्लिम उच्चाधिकारी अपनी नि:शुल्क सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं।

एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में संशोधन पर विवाद

इंकलाब (28 अप्रैल) के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने सातवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से मुगलों और दिल्ली सल्तनत से संबंधित अध्यायों को हटा दिया है। एनसीईआरटी का कहना है कि यह फैसला स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफएसई) 2023 के तहत किया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल तक छात्रों को गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश और मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी दी जाती थी। अब नई पाठ्यपुस्तकों से इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं को हटा दिया गया है। इनके स्थान पर मगध, मौर्य, शुंग और सातवाहन वंश से संबंधित नए अध्यायों को शामिल किया गया है। सातवीं कक्षा की इस नई पुस्तक का शीर्षक है, 'एक्सप्लोरिंग सोसाइटी : इंडिया एंड बियॉन्ड (पार्ट-1)' नई पुस्तकों में जनपद, साम्राज्य, अधिराज और राजाधिराज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पाठ्यपुस्तक में यूनानियों से संबंधित एक अध्याय को भी शामिल किया गया है। खास बात यह है कि नई पाठ्यपुस्तक में 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले का भी उल्लेख है। एनसीईआरटी के निदेशक प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी ने पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि इस नई पाठ्यपुस्तक से बच्चों को भारतीय संस्कृति को समझने में सहायता मिलेगी।

रोजनामा सहारा (28 अप्रैल) के अनुसार नई पाठ्यपुस्तक में हिंदू राजवंशों, तीर्थ स्थानों, महाकुंभ और सरकारी योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। नई पाठ्यपुस्तक में 'पवित्र भूगोल' नाम के अध्याय में देश के पवित्र स्थानों और तीर्थयात्राओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों, चारधाम यात्रा और शक्ति पीठों का वर्णन किया गया है। पुस्तक में 'मेक इन इंडिया', 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' और 'अटल सुरंग' जैसी सरकारी योजनाओं का भी वर्णन किया गया है। संविधान से संबंधित एक अध्याय में कहा गया है कि पहले लोग घरों पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहरा सकते थे, लेकिन अब देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज लहराने की स्वतंत्रता दी गई है।

एतेमाद (29 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि हिंदुत्व को इस देश की जनता पर जबरन लादा जा रहा है। एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तकों से मुगल और अन्य मुस्लिम राजवंशों से संबंधित अध्यायों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे पहले भी इतिहास की किताबों में कई बदलाव किए जा चुके हैं, जिससे साफ होता है कि सरकार हिंदू राष्ट्र की स्थापना की दिशा में कदम उठा रही है। इससे पहले बाबरी मस्जिद, गुजरात दंगों और हिंदुत्व की राजनीति से संबंधित अध्यायों को पाठ्यपुस्तकों से हटा दिया गया था। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव से साफ पता चलता है कि सरकार भारत के इतिहास से मुस्लिम शासकों का नामोनिशान

मिटाना चाहती है ताकि आने वाली पीढ़ी मुस्लिम शासकों के कारनामों से बिल्कुल अवगत न हो। हालांकि, इस हकीकत से इंकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी ताकत देश के इतिहास को नहीं मिटा सकती। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर को कैसे भुलाया जा सकता है? जब हमारी नई पीढ़ी ताजमहल जाएगी तो क्या वह यह नहीं पूछेगी कि इसे किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा और लाल किले के इतिहास को कैसे छिपाया जाएगा? मुसलमानों ने इस देश पर 800 सालों तक हुकूमत की, लेकिन उस दौरान किसी भी हिंदू, सिख या ईसाई ने कोई खतरा महसूस नहीं किया। अब देश के इतिहास को बदलने की नापाक कोशिश की जा रही है और एक नया इतिहास रचा जा रहा है।

उर्दू टाइम्स (29 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल मुसलमानों की विरासत को मिटाने की सुनियोजित साजिश कर रहा है। मुगल सल्तनत व दिल्ली सल्तनत देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और कला जगत में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों ने इसे पाठ्यपुस्तकों से बेदर्दी से निकाल दिया है। यह एक ऐसी सोच है जो देश की 'गंगा जमुनी तहजीब' की धज्जियां उड़ाकर देश की सभ्यता को भगवा रंग देना चाहती है। मुगल वंश को नजरअंदाज करना एक ऐतिहासिक अन्याय है। यह वह समय था जब भारत ने वास्तुकला, कविता, संगीत और ललित कलाओं के माध्यम से देश की सभ्यता को नया मोड़ दिया था। अकबर की सामाजिक व धार्मिक समरसता और दारा शिकोह की शिक्षा भारतीय आत्मा के अटूट हिस्से हैं। इनसे जुड़े अध्यायों को पाठ्यपुस्तकों से हटाने का उद्देश्य आने वाली नई पीढ़ी को देश की महान सांस्कृतिक विरासत से वंचित करना है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार अपनी सत्ता का अनुचित लाभ उठाकर देश को विभाजित कर रही है। मुस्लिम इतिहास को कम करके व उसे विदेशी आक्रांता के रूप में पेश करके हिंदू संस्कृति को एकमात्र और श्रेष्ठ संस्कृति के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

हिंदुस्तान (30 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का यह पहला मामला नहीं है। जबसे भाजपा सत्ता में आई है तब से आरएसएस अपनी कठपुतलियों के जरिए देश के इतिहास और पाठ्यपुस्तकों को मनमाना रंग देने का प्रयास कर रहा है। शिक्षा का भगवाकरण संघ परिवार का पुराना सपना है। मुगल शासकों से संघ परिवार और हिंदुत्व के पुरोधाओं को सिर्फ इसलिए नफरत है, क्योंकि वे मुसलमान थे। संघ परिवार इस सेक्युलर देश को हिंदू राष्ट्र में बदलने के लिए वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहा है। एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन का यह पहला मामला नहीं है। 2014 में केंद्र में भाजपा के सत्तारूढ़ होते ही सुनियोजित तरीके से पाठ्यपुस्तकों में बदलाव किया जा रहा है और यह काम बहुत तेजी से हो रहा है। भाजपा और संघ परिवार के लोग वर्षों से मुगल शासकों को विदेशी आक्रांता करार देते हुए उन्हें जनता में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में मुगल शासकों के नाम पर रखे गए शहरों और सड़कों के नाम बदले गए हैं। यह इतिहास के साथ खिलवाड़ है। संघ परिवार को न केवल

मुगल शासकों से ही एलर्जी है, बल्कि उसे मुसलमानों के साथ-साथ सेक्युलर मिजाज के हिंदुओं से भी एलर्जी है। अब भी यही सेक्युलर नेता, पत्रकार व चिंतक भाजपा और संघ परिवार के इस अभियान का विरोध कर रहे हैं। इन प्रयासों का लक्ष्य शिक्षा का भगवाकरण करना है। यह प्रयास देश की सेक्युलर पहचान को मिटाने के लिए किया जा रहा है। भाजपा और संघ परिवार को यह याद रखना चाहिए कि देश के इतिहास को कभी मिटाया नहीं जा सकता।

उर्दू के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

उर्दू टाइम्स (17 अप्रैल) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के अकोला जिले के पातुर नगर परिषद कार्यालय के साइनबोर्ड पर मराठी के साथ उर्दू भाषा के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि पातुर नगर परिषद ने नगर परिषद कार्यालय के साइनबोर्ड पर मराठी के साथ-साथ उर्दू में भी लिखने का प्रस्ताव पारित किया था। भाजपा की एक स्थानीय नेता ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। सैयद बुरहानुद्दीन ने संवाददाताओं को बताया कि महाराष्ट्र के जिला अकोला के गांव पातुर में 1956 में स्थापित नगर परिषद कार्यालय के साइनबोर्ड पर उर्दू में लिखा हुआ था। 2019 में जब नगर परिषद के नए भवन का निर्माण किया गया तो उस पर फिर से यह बोर्ड लगाया गया। इस संदर्भ में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। भाजपा की स्थानीय नेता वर्षाताई संजय बागड़े ने इसका विरोध किया। 2019 से लेकर 2025 तक विभिन्न अदालतों में उर्दू के पक्ष में लड़ाई लड़ी गई। अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने उर्दू में साइनबोर्ड लगाने का निर्देश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने अपने फैसले में लिखा कि अगर उर्दू भाषा बोल पाती तो अपने बारे में शायद यह कहती,

"उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली,
क्यों मुझको बनाते हो त'अस्सुब (धर्मांधता) का निशाना।
मैंने तो खुद को कभी मुसलमान नहीं माना,
देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना।
अपने ही वतन में हूं, मगर आज अकेली,
उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली।"

गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अकोला जिले के पातुर नगर परिषद कार्यालय के साइनबोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को बरकरार रखते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाली उर्दू को किसी विशेष धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। संविधान में उर्दू और मराठी दोनों की एक जैसी स्थिति है, इसलिए सिर्फ मराठी का इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा है कि साम्राज्यवादी ताकतों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए हिंदी को हिंदुओं और उर्दू को मुसलमानों से जोड़ने का प्रयास किया। इसका नतीजा यह हुआ कि हिंदी

को हिंदुओं की भाषा और उर्दू को मुसलमानों की भाषा समझा जाने लगा। अदालत ने कहा है कि उर्दू की जड़ें इसी भूमि से जुड़ी हुई हैं। इसे किसी विशेष धर्म से जोड़ना निंदनीय है। याचिकाकर्ता वर्षाताई बागड़े ने अदालत में तर्क दिया था कि उर्दू का इस्तेमाल महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण आधिकारिक भाषा अधिनियम 2022 के तहत उचित नहीं है, लेकिन अदालत ने इस तर्क को यह कहकर रद्द कर दिया कि मराठी के अतिरिक्त उर्दू के इस्तेमाल पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। मराठी और उर्दू दोनों भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत समान दर्जा रखती हैं।

औरंगाबाद टाइम्स (17 अप्रैल) ने कहा है कि उर्दू के मामले में गलतफहमी पैदा की गई कि यह भारत के लिए अजनबी भाषा है। उर्दू भारत में विभिन्न सांस्कृतिक विचारधाराओं से संबंध रखने वाले लोगों की जरूरत के कारण बढ़ी और फली-फूली है। यह अनेक शहरों की पसंद की भाषा बन गई है। उर्दू भारतीय कानून और अदालतों की कार्यवाही में गहराई से जुड़ी हुई है। इसका अंदाजा देश के फौजदारी व दीवानी कानून की किताबों और अदालती बोलचाल की भाषा से लगाया जा सकता है।

सियासत (17 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हिंदी को हिंदुओं और उर्दू को मुसलमानों की भाषा करार देना उचित नहीं है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है और इसका संबंध देश की संस्कृति से है। इस तरह से अदालत ने सांप्रदायिक तत्वों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है। अदालत ने महाराष्ट्र के जिला अकोला के पातुर नगर परिषद में उर्दू में लिखे साइनबोर्ड के खिलाफ दायर याचिका को रद्द कर दिया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी उर्दू में लिखे साइनबोर्ड को बरकरार रखने की अनुमति दी थी। अदालत के इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। भाषा किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। भाषा को किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता। भाषा संस्कृति का हिस्सा है। भारत एक ऐसा देश है, जो बहुलता में एकता रखता है और इसे जीवन के हर क्षेत्र में बरकरार रखने की जरूरत है। उर्दू के बिना हिंदी अधूरी है। उर्दू के अनेक शब्द हिंदी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। उर्दू एक दूसरे को जोड़ने वाली भाषा है। असल मायने में यह 'गंगा जमुनी तहजीब' का परिचायक है।

उर्दू टाइम्स (17 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भारत की महानता इसकी रंगारंग सभ्यता, बेशुमार भाषाओं और साझी संस्कृति में है। उर्दू वही भाषा है जिसने मीर, गालिब, फिराक, फैज और बेशुमार कवियों के दिल की धड़कनों को शब्दों का रूप दिया है। इसके बिना देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक इतिहास अधूरा है। दरअसल, अदालत का यह

फैसला उस ऐतिहासिक गलती को भी ठीक करता है, जिसके तहत उर्दू और हिंदी को अलग-अलग धर्म के तराजू में तौला गया। अदालत ने इस विभाजन को खेदजनक और गुलामी की मानसिकता का परिचायक करार दिया है। आज भी अदालत में हलफनामा, पेशी और वकालतनामा जैसे उर्दू के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं।

हिंदुस्तान (17 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अदालत का यह कहना शत-प्रतिशत सही है कि उर्दू इसी देश में पैदा हुई और यह विशुद्ध रूप से एक भारतीय भाषा है। आजादी के बाद एक सुनियोजित साजिश के तहत उर्दू को मुसलमानों की भाषा करार दे दिया गया ताकि भाषाई द्वेष को प्रोत्साहन दिया जा सके। सांप्रदायिक ताकतें उर्दू के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने और उसके विकास को रोकने का घृणित प्रयास करती रहती हैं। उर्दू को विदेशी भाषा करार दिया जाता है, लेकिन अदालत ने यह फैसला देकर इस भाषाई द्वेष का पर्दाफाश कर दिया है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (17 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उर्दू के खिलाफ नफरत फैलाने और उसे मुसलमानों की भाषा करार देने वालों को आईना दिखाया है। अदालत ने कहा है कि उर्दू भारत की साझी संस्कृति का परिचायक है। इसे विदेशी या मुसलमानों की भाषा नहीं कहा जा सकता है। इससे पहले 2021 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी वर्षाताई की याचिका को खारिज कर दिया था। अब सर्वोच्च न्यायायल के इस फैसले के बाद उन लोगों के मुंह बंद हो जाने चाहिए जो समय-समय पर उर्दू के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से सीखने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उर्दू के खिलाफ जहर उगला था।

शरिया अदालतों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

इंकलाब (29 अप्रैल) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि दारुल कजा (शरिया अदालतों) में जो फैसले किए जाते हैं वे कानूनी तौर पर मान्य नहीं हैं। अर्थात् शरिया अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। दरअसल, 2002 में एक जोड़े ने शादी की थी। यह इनकी दूसरी शादी थी। 2005 में पति ने अपनी पत्नी से तलाक की एक याचिका भोपाल में काजी की अदालत में दायर की, लेकिन दोनों के बीच समझौता हो जाने के कारण यह याचिका खारिज कर दी गई। फिर 2008 में पति ने शरिया अदालत में तलाक के लिए दूसरी याचिका दायर की। इस दौरान पत्नी ने गुजारा भत्ता के लिए

फैमिली कोर्ट की शरण ली, लेकिन फैमिली कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया, क्योंकि पति ने पत्नी को छोड़ा नहीं था। इसके बाद पत्नी ने फैमिली कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसी दौरान यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा।

इस मुकदमे की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने की। अदालत ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है कि शरिया अदालतों के किसी भी फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अदालत ने विश्व लोचन मदान के फैसले में तय व्यवस्था को दोहराते हुए कहा कि काजी की अदालत, दारुल कजा या शरिया कोर्ट आदि, चाहे जिस नाम से जाने जाएं, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। विश्व लोचन मदान के फैसले में कहा गया था कि शरिया अदालतों और फतवों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। शरिया अदालतों द्वारा दिया गया आदेश कानून में लागू नहीं होता और न ही पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। अदालत ने कहा कि इनका आदेश सिर्फ तभी कानूनी तौर पर जांचा परखा जा सकता है, जब प्रभावित पक्षकारों ने उस फैसले को स्वीकार करते हुए उस पर अमल किया हो। तीसरे पक्ष पर यह फैसला लागू नहीं होगा। इस मामले में अदालत ने पति को यह आदेश दिया है कि वह संबंधित महिला को हर महीने चार हजार रुपये गुजारा भत्ता के रूप में दे। ■

ईरान में 33 बलूचों को फांसी

उर्दू टाइम्स (2 मई) के अनुसार ईरान में पिछले एक महीने में 33 बलूच कैदियों को फांसी दी गई है। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के दबाव पर ईरान बलूचों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इन संगठनों द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जिन ईरानी बलूचों को फांसी पर लटकाया गया है उनके खिलाफ न तो अदालतों में मुकदमों की सुनवाई हुई और न ही उन्हें अदालतों में अपना पक्ष रखने की अनुमति दी गई। न्यूज पोर्टल 'बलूच वरना' की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने में देश की 10 अलग-अलग जेलों में कम-से-कम 33 बलूच कैदियों को फांसी पर लटकाया गया है। इस पोर्टल ने आरोप लगाया है कि ईरान की शिया सरकार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के इशारे पर बलूचों के नरसंहार की नीति पर चल रही है, क्योंकि बलूच सुन्नी मुसलमान हैं। जबकि ईरान के शासक शिया हैं।

इस पोर्टल ने यह भी दावा किया है कि ईरान की जाहेदान सेंट्रल जेल में बंद 85 अन्य बलूच कैदियों को भी जल्द ही मौत की सजा दिए जाने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि ईरान की कुल जनसंख्या में बलूचों का प्रतिनिधित्व सिर्फ पांच प्रतिशत हैं। ईरान सरकार धार्मिक द्वेष के कारण बलूचों का उत्पीड़न कर रही है। पिछले साल जिन कैदियों को ईरान की जेलों में फांसी पर लटकाया गया था उनमें से 10 प्रतिशत से अधिक बलूच थे। बलूच एक्टिविस्ट कैंपेन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान सरकार सुन्नियों को पसंद नहीं करती है, इसलिए वह सुन्नी बलूच नागरिकों को मनगढ़ंत आरोपों में फंसाकर फांसी पर लटका रही है।

इस संगठन ने दावा किया है कि जिन बलूच कैदियों को फांसी दी गई है उन पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का आरोप था। ईरान सरकार ने यह आरोप लगाया था कि देश में हिजाब के खिलाफ हुए उग्र प्रदर्शनों के पीछे सुन्नियों का हाथ था। 24 बलूच कैदियों को मादक पदार्थों की तस्करी के झूठे आरोप में फांसी पर लटकाया गया है। खास बात यह है कि जिन लोगों को फांसी पर लटकाया गया उनके परिवारजनों को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं

दी गई। उल्लेखनीय है कि बलूच नागरिक पाकिस्तान के साथ-साथ ईरान के भी कुछ क्षेत्रों में आबाद हैं। दोनों देशों की सरकार द्वारा बलूचों का राजनीतिक उत्पीड़न किया जा रहा है। ईरान सरकार का आरोप है कि बलूचों ने एक आतंकवादी संगठन जैश-अल-अदल बना रखा है, जो विदेशी सरकार के इशारे पर आतंकवादी गतिविधियों में भाग ले रहा है। जैश अल-अदल ने हाल ही में ईरान के एक दर्जन चौकियों पर हमला करके कई पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी।

अमेरिका सऊदी अरब को हथियार बेचने के लिए तैयार

रोजनामा सहारा (26 अप्रैल) के अनुसार अमेरिका सऊदी अरब को 100 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य का हथियार पैकेज बेचने की तैयारी में है। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' के अनुसार इस प्रस्ताव की घोषणा मई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सऊदी अरब दौरे के दौरान की जाएगी। प्रस्तावित पैकेज पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन द्वारा सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते को अंतिम रूप देने के असफल प्रयास के बाद आया है। अमेरिका ने यह शर्त रखी थी कि सऊदी अरब इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करे। बाइडेन प्रशासन ने सऊदी अरब को यह प्रस्ताव दिया था कि वह चीनी हथियारों की खरीद को रोक दे और अमेरिका को यह आश्वासन दे कि वह अपने देश में चीनी पूंजी निवेश की प्रस्तावित योजना को रद्द कर देगा। अमेरिका इसके बदले में सऊदी अरब को अत्याधुनिक हथियारों का पैकेज देगा।

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल में सऊदी अरब को हथियारों की बिक्री को अमेरिका के हित में बताया था। अमेरिका ने यह संकेत दिया है कि वह सऊदी अरब को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित सी-130 परिवहन विमान सहित कई अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों की आपूर्ति कर सकता है। आशा है कि अमेरिका ने जो ताजा हथियार पैकेज तैयार किया है उसमें अमेरिका की रक्षा उपकरण बनाने वाली अन्य कंपनियां भी भागीदार बनेंगी। इस पैकेज में जिन अन्य कंपनियों के भागीदार बनने की संभावना है उनमें बोइंग कंपनी, नॉर्थरोप ग्रुमन और जनरल एटॉमिक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। बताया जाता है कि जनरल एटॉमिक्स ने ड्रोन सप्लाई करने की भी इच्छा व्यक्त की है।

इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिकी रक्षा उत्पाद कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही सऊदी अरब का दौरा करने वाला है। अमेरिका लंबे समय से सऊदी अरब को हथियार उपलब्ध करा रहा है। 2017 में ट्रम्प ने सऊदी अरब को 110 बिलियन डॉलर मूल्य के हथियार बेचने का प्रस्ताव दिया था। सऊदी अरब लॉकहीड कंपनी के एफ-35 लड़ाकू विमान खरीदने में विशेष रुचि ले रहा है। उसकी शिकायत है कि अमेरिका इजरायल की तुलना में अरब देशों को कम आधुनिक हथियार देता है। इजरायल के पास पहले से ही एफ-35 लड़ाकू विमान मौजूद हैं।

पाकिस्तान–अफगानिस्तान सीमा पर खूनी झड़पें

पाकिस्तानी अखबार **जंग** (28 अप्रैल) के अनुसार पिछले तीन दिनों से पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर खूनी झड़पों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग (आईएसपीआर) की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पाकिस्तान की सीमा में घुसपैठ करने के प्रयास में 100 से अधिक अफगान घुसपैठिए मारे गए हैं। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी दावा किया गया है कि इन झड़पों में पाकिस्तानी सेना के 34 लोग भी मारे गए हैं।

बीबीसी उर्दू (30 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान की वायु सीमा में घुसकर पिछले तीन दिनों में 16 बार हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में लगभग 45 आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया गया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने आरोप लगाया है कि इस घुसपैठ के पीछे एक पड़ोसी देश का हाथ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान में सक्रिय तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों में आतंकवादियों के 26 अड्डों को तबाह किया गया है। इसके अतिरिक्त हथियार और गोला बारूद के भंडारों को भी ध्वस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से प्रॉक्सी वार लड़ा जा रहा है। पाकिस्तान इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा और पाकिस्तानी सीमा में आतंकवादियों की घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

बीबीसी उर्दू (1 मई) के अनुसार अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना और उसकी वायुसेना हमारी निर्धारित सीमा का उल्लंघन करके मासूम अफगान नागरिकों को अपना निशाना बना रही है। हम इसका मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज पाकिस्तान में जो हालात हैं उसके लिए पूरी तरह से पाकिस्तान सरकार जिम्मेवार है।

अवधनामा (27 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में घुसपैठ करने वाले आठ आतंकवादियों को मार गिराया है। जबकि इस कार्रवाई में चार आतंकवादी घायल हो गए हैं। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने 20 और 21 अप्रैल की रात को खैबर पख्तूनख्वा में छह आतंकवादियों की हत्या कर दी थी। आतंकवादियों की जवाबी कार्रवाई में तीन पाकिस्तान सैनिक भी मारे गए थे।

एक अन्य समाचार के अनुसार बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के समीप एक सैन्य काफिले पर हुए धमाके में पाकिस्तान फ्रंटियर फोर्स के छह जवान मारे गए और चार घायल हो गए। घायलों को सैन्य अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर कर खोजी

अभियान शुरू कर दी है। अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है।

अवधनामा (30 अप्रैल) के अनुसार दक्षिणी वजीरिस्तान के वाना इलाके में एक सरकारी कार्यालय में हुए धमाके में नौ लोग मारे गए और 21 घायल हो गए। इस इलाके के डीएसपी इमरान उल्लाह ने बताया कि इस हमले के पीछे टीटीपी का हाथ है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि यह क्षेत्र लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। इस साल इस क्षेत्र में अब तक 74 आतंकवादी हमले हुए, जिनमें 132 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 40 सैनिक, 35 आतंकवादी और शेष आम नागरिक शामिल हैं।

औरंगाबाद टाइम्स (28 अप्रैल) के अनुसार आईएसपीआर ने एक बयान में दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने 25, 26 और 27 अप्रैल की रात को खैबर पख्तूनख्वा के हसन खेल इलाके में 54 अफगान घुसपैठियों को मार गिराया है। उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि ये घुसपैठिये अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए घुसे थे।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने दावा किया है कि उसने क्वेटा के मार्गट इलाके में पाकिस्तानी सैन्य छावनी पर हमला करके 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। यह हमला रिमोट कंट्रोल के जरिए धमाका करके किया गया है।

बीबीसी उर्दू (30 अप्रैल) के अनुसार बलूचिस्तान के जिला नुश्की में एक तेल टैंकर में हुए धमाके में कम-से-कम 10 लोग मारे गए। जबकि 55 घायल हो गए। मरने वालों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है।

पाकिस्तान से चार लाख अफगान नागरिकों का निष्कासन

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (28 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने देश में रह रहे अफगान मूल के नागरिकों को निष्कासित करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सरकार अब तक चार लाख अफगान नागरिकों को अपने देश से निष्कासित करके अफगानिस्तान की सीमा में धकेल चुकी है। अफगान सरकार ने पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया था कि वह अफगान मूल के पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासित करने के अभियान को फिलहाल के लिए रोक दे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उसके इस अनुरोध को ठुकरा दिया था। अफगान सरकार के अनुसार इस समय अफगान मूल के 40 लाख नागरिक पाकिस्तान में रह रहे हैं। इनमें से 15 लाख का जन्म पाकिस्तान में ही हुआ है, इसलिए वे पाकिस्तानी नागरिक हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अफगान सरकार के इस तर्क को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि अफगान नागरिक पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों और तस्करी में लिप्त पाए गए हैं, इसलिए उन्हें देश से निष्कासित किया जा रहा है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (28 अप्रैल) के अनुसार पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से जबरन निष्कासित किए जाने के खिलाफ देश के 50 से

अधिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया है। इस संबंध में सबसे बड़ी रैली का आयोजन इस्लामाबाद में किया गया था। इसका नेतृत्व पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के महासचिव अब्दुल रहीम जियारतवाल और हामिद खान अचकजई ने किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जो अफगान मूल के नागरिक पाकिस्तान में पैदा हुए हैं उन्हें पाकिस्तानी नागरिकता प्रदान की जाए।

कौमी तंजीम (21 अप्रैल) के अनुसार तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से काबुल में मुलाकात की है। इस मुलाकात में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने चिंता प्रकट की कि अफगान सरकार के अनुरोध के बावजूद पाकिस्तान अफगान मूल के नागरिकों को अपने देश से जबरन निष्कासित कर रहा है। इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने यह तय किया है कि मई महीने में अफगान मूल के आठ लाख से अधिक नागरिकों को देश से निष्कासित कर दिया जाएगा। अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हाफिज जिया अहमद ने पाकिस्तान सरकार के इस फैसले की निंदा की है।

मोहम्मद यूनुस भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त

इंकलाब (25 अप्रैल) के अनुसार बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भ्रष्टाचार के सभी मामले खारिज कर दिए हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने यूनुस के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था। उन पर ग्रामीण दूरसंचार श्रमिकों के लाभ भागीदारी कोष से 25 करोड़ 22 लाख रुपये की हेराफेरी करने तथा मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से धनराशि हस्तांतरित करने का आरोप लगाया गया था। बताया जाता है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ यह मुकदमा अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में दर्ज किया गया था।

ढाका की एक विशेष अदालत में 12 जून 2023 को यूनुस और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए गए थे। मोहम्मद यूनुस और छह अन्य आरोपियों के वकील अब्दुल्ला अल-मामून ने संवाददाताओं को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस आरोपपत्र पर विचार करते हुए यूनुस पर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। अब मोहम्मद यूनुस को कानूनी तौर पर भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त करार दे दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि 7 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ लेने के एक दिन पहले श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने जल्दबाजी में ढाका श्रम न्यायालय के फैसले को पलट दिया था। 1 जनवरी 2024 को ढाका श्रम न्यायालय ने यूनुस और ग्रामीण दूरसंचार के तीन अधिकारियों को श्रम कानून के उल्लंघन के आरोप में छह महीने की सजा सुनाई थी।

ईरान के बंदरगाह पर हुए धमाके में सैकड़ों मरे

सियासत (29 अप्रैल) के अनुसार ईरान के एक प्रमुख बंदरगाह शाहिद राजाई पर हुए भीषण धमाके में लगभग 100 लोगों के मारे जाने और 500 से अधिक लोगों के घायल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच कराने के निर्देश दिए हैं। ईरान की तीन विभिन्न एजेंसियां इस घटना की अलग-अलग जांच करेंगी।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार ईरानी सांसद मोहम्मद सिराज ने दावा किया है कि ईरान के प्रमुख नगर बंदर अब्बास में स्थित शाहिद राजाई बंदरगाह पर हुए धमाके में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हाथ होने के सबूत हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना नहीं, बल्कि इजरायली खुफिया एजेंसी की विध्वंसक कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि ये धमाके एक साथ चार स्थानों पर हुए। समाचारपत्र ने दावा किया है कि इस धमाके में एक हजार से अधिक लोग घायल हुए हैं। धमाके इस बंदरगाह पर खड़े कंटेनरों में हुए। यह ईरान की सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह है। यहां से विश्वभर में ईरान उत्पादित तेल और पेट्रोलियम का निर्यात किया जाता है।

कौमी तंजीम (28 अप्रैल) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी को तत्काल घटनास्थल पर जाने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ईरान की सभी गुप्तचर एजेंसियों को भी घटनास्थल पर भेजा है। ईरान सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस बंदरगाह के विभिन्न स्थानों पर रासायनिक पदार्थों से भरे कंटेनर रखे हुए थे। इन्हीं कंटेनरों में एक साथ कई धमाके हुए हैं। ईरान सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहजेरानी ने फारस न्यूज एजेंसी को बताया कि अभी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। जब तक आग पूरी तरह से बूझ नहीं जाती तब तक इस घटना के बारे में स्पष्टता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि ईरानी सेना के विमान इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। ईरान सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि मोसाद ने 2020 में भी साइबर हमले के जरिए इस बंदरगाह को तबाह करने का

प्रयास किया था। तब ईरान के वैज्ञानिकों ने इस इजरायली प्रयास को विफल बना दिया था। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस धमाके के पीछे मोसाद का हाथ होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार शाहिद राजाई बंदरगाह पर हुए धमाके के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। बंदर अब्बास के गवर्नर अहमद पौयाफर ने कहा कि इस प्रांत के सभी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संगठन के प्रवक्ता हुसैन जाफरी ने कहा है कि इस धमाके के कारण देशभर में भीषण प्रदूषण फैल गया है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी 'आईआरएनए' के अनुसार इस धमाके में कई चीनी विशेषज्ञ लापता हो गए हैं।

अवधनामा (1 मई) के अनुसार ईरान ने इजरायली खुफिया एजेंसी से संबंध रखने वाले एक जासूस को फांसी पर लटका दिया है। अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार मोहसिन लंगरनेशिन को एक अज्ञात जेल में फांसी पर लटकाया गया है। ईरानी न्यूज एजेंसी 'मिजान' के अनुसार मोहसिन लंगरनेशिन पिछले दो सालों से मोसाद को लॉजिस्टिक, तकनीकी और परिचालन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करा रहा था। उस पर आईआरजीसी के एक उच्चाधिकारी कर्नल सैय्यद खोदाई की हत्या की साजिश में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया था। कहा जाता है कि 2022 में मोसाद ने खोदाई की तेहरान में हत्या कर दी थी।

जॉर्डन में इख्वानुल मुस्लिमीन पर प्रतिबंध

उर्दू टाइम्स (25 अप्रैल) के अनुसार जॉर्डन की प्रमुख विपक्षी पार्टी इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) और उससे संबंधित संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विभिन्न बैंको में जमा उनकी धनराशि की निकासी पर भी रोक लगा दी गई है। जॉर्डन के गृह मंत्री माजेन अल-फराया ने दावा किया है कि इख्वानुल मुस्लिमीन जॉर्डन में आतंकवाद फैलाकर नरसंहार करने की साजिश रच रही थी। इस संबंध में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ के दौरान सरकार को इस साजिश से संबंधित ठोस प्रमाण मिले हैं। इसके बाद सरकार ने इस संगठन की सभी चल व अचल संपत्तियों को जब्त करने का फैसला किया है और उसके सभी कार्यालयों को भी बंद कर दिया गया है। गृह मंत्री ने बताया कि यह अतिवादी संगठन युवाओं को भड़काकर वर्तमान सरकार का तख्ता पलटने की साजिश कर रहा था। इख्वानुल मुस्लिमीन का लक्ष्य इस्लामिक खिलाफत की पुनर्स्थापना और दुनियाभर में शरिया कायम करना था। इस संगठन पर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र आदि अनेक इस्लामिक देशों में प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन जॉर्डन में इस पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं था। हाल ही में जॉर्डन में हुए संसदीय चुनावों

में इख्वानुल मुस्लिमीन की राजनीतिक शाखा इस्लामिक एक्शन फ्रंट ने संसद की 138 सीटों में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

चट्टान (25 अप्रैल) के अनुसार इख्वानुल मुस्लिमीन के एक वरिष्ठ नेता के बेटे ने जॉर्डन में हिंसा के जरिए सत्ता पर कब्जा करने की साजिश रची थी। उसका लक्ष्य देश में अस्थिरता पैदा करना था। जॉर्डन में हुए चुनाव में इख्वानुल मुस्लिमीन की सफलता पर टिप्पणी करते हुए इख्वान नेता मुराद अदैलेह ने दावा किया था कि वे फिलिस्तीन की आजादी के लिए संघर्षशील हमास का समर्थन करते हैं, इसलिए जॉर्डन की जनता ने उनका समर्थन किया है।

क्या है इख्वानुल मुस्लिमीन?

इख्वानुल मुस्लिमीन मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा अतिवादी इस्लामी संगठन है। इसकी शाखाएं सभी अरब देशों में फैली हुई हैं। इख्वानुल मुस्लिमीन की स्थापना हसन अल-बन्ना ने 1928 में मिस्र में की थी। इस संगठन का लक्ष्य शरिया और कुरान के आधार पर मुस्लिम समाज को संगठित करना और कट्टरपंथी इस्लामी सरकार को सत्ता में लाना था। इस संगठन ने मिस्र में ब्रिटिश प्रभाव का विरोध किया था और मिस्र के तत्कालीन बादशाह फारूक के खिलाफ सशस्त्र अभियान चलाया था। फारूक पर यह आरोप लगाया गया था कि वे ब्रिटिश कठपुतली के तौर पर काम कर रहे हैं और वे इस्लाम का खात्मा करके देश को ईसाइयत और पश्चिमी संस्कृति की ओर ले जा रहे हैं। इस संगठन के हिंसक आंदोलन के कारण 1952 में फारूक को मिस्र छोड़कर भागना पड़ा था। इसके बाद सत्ता पर कब्जे को लेकर इख्वानुल मुस्लिमीन और सेना के बीच टक्कर हुई थी। इख्वानुल मुस्लिमीन ने समाजवाद, सेक्युलरिज्म और पैन-अरब आंदोलन का विरोध किया था।

1954 में इख्वान ने मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासिर की हत्या का प्रयास किया

था। इसके बाद नासिर ने इस जिहादी संगठन को कुचलने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ दिया था। इस अभियान के तहत इस संगठन से जुड़े हुए हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके नेता सैयद कुतुब और उनके अनेक सहयोगियों को जेलों में बंद कर दिया गया। सैयद कुतुब को इस्लामी आतंकवादी संगठन अलकायदा और हमास का जनक माना जाता है। 1966 में सैयद कुतुब को फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सादात और इख्वानुल मुस्लिमीन के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ। इख्वान के नेताओं ने यह घोषणा की कि वे भविष्य में हिंसक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे।

1981 में इख्वान के एक उप संगठन अल-जिहाद ने सादात की हत्या कर दी। इसके बाद इस संगठन ने राजनीति में खुलकर भाग लेना शुरू कर दिया। 1984 में मिस्र में हुए आम चुनाव में इख्वान ने अपने एक उप संगठन 'वफद पार्टी' का समर्थन किया। वफद पार्टी ने मिस्र की संसद की 450 सीटों में से 65 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अतिरिक्त इस संगठन से जुड़े दर्जनों लोग निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते। इसके बाद मिस्र की राजनीति में इख्वान का प्रभाव बढ़ा और उसने 2011 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को सत्ता से अपदस्थ कर दिया। 2012 में मिस्र में हुए आम चुनाव में इख्वान ने 'फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी' के साथ समझौता किया और संसद की 84 प्रतिशत सीटों पर जीत

दर्ज की। इसके साथ ही इख्वान के उम्मीदवार मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रपति चुने गए। बाद में सेना और इख्वान के बीच मतभेद पैदा हो गए। इस संगठन के उग्र प्रदर्शनों के कारण मोहम्मद मुर्सी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा।

बताया जाता है कि मुर्सी के सेना प्रमुख अब्देल फतह अल-सिसी के साथ मतभेद पैदा हो गए और अल-सिसी ने संविधान को भंग करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। इख्वान ने इसका विरोध किया और राष्ट्रव्यापी उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। सेना ने 1200 से अधिक प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। अल-सिसी ने इख्वान पर प्रतिबंध लगा दिया और मुर्सी सहित इस संगठन के हजारों समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुर्सी पर देशद्रोह का मुकदमा चला और 2019 में जेल में ही उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। इसके बाद इख्वान ने हिंसा का रास्ता अपना लिया। कहा जाता है कि कतर और तुर्किये ने इख्वान का गुप्त रूप से समर्थन किया था और इस संगठन से संबंधित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अपने-अपने देशों में शरण दी थी। इस संगठन पर 1997 में सैकड़ों पर्यटकों की हत्या करने का भी आरोप है।

2019 में मिस्र के राष्ट्रपति अल-सिसी के अमेरिका दौरे के बाद अमेरिका ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इख्वान के नेताओं का आरोप है कि अल-सिसी अमेरिका के दबाव पर उनके संगठन को कुचलने का अभियान चला रहे हैं और उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को फांसी पर लटका दिया गया है। पिछले साल तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने मिस्र का दौरा किया था। उनके इस दौरे के बाद तुर्किये की नीति में एक नया मोड़ आया। तुर्किये सरकार ने देश में रह रहे इख्वान के 200 से अधिक नेताओं की नागरिकता रद्द कर दी।

गाजा में युद्धविराम का नया फॉर्मूला

इंकलाब (23 अप्रैल) के अनुसार कतर और मिस्र ने इजरायल व हमास के बीच युद्धविराम वार्ता को फिर से शुरू करने हेतु नया फॉर्मूला तैयार किया है। बीबीसी के अनुसार इन दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस नई योजना के तहत गाजा में हमास और इजरायल के बीच युद्धविराम की अवधि को सात वर्ष तक जारी रखने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त इजरायली जेलों में बंद सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। इसके बदले में हमास भी इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। दोनों देश युद्धविराम भंग होने के बाद इजरायल द्वारा गाजा पर फिर से किए गए हमले को रोकने के लिए प्रयत्नशील हैं। इजरायल ने इस नई योजना पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है। युद्धविराम योजना के मध्यस्थ दोनों देशों के बीच अगले महीने से फिर से वार्ता की शुरुआत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में मध्यस्थ हमास के राजनीतिक परिषद के प्रमुख मोहम्मद दरवेश से संपर्क स्थापित कर रहे हैं।

इंकलाब (25 अप्रैल) के अनुसार इजरायल ने गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों के घरों पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों में 50 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं। मरने वालों में एक पत्रकार भी

शामिल है। हमास के अनुसार गाजा के युद्ध में अब तक 51 हजार से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और सवा लाख घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के सूत्रों ने पुष्टि की है कि इजरायल की सख्ती के कारण पिछले एक महीने से गाजा में रहने वाले लोगों के लिए राहत सामग्री नहीं पहुंचाई जा सकी है, क्योंकि इजरायल द्वारा राहत सामग्री ले जा रहे वाहनों को निशाना बनाया जाता है।

एक अन्य समाचार के अनुसार फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास से अपील की है कि वह फौरन सभी इजरायली बंधकों को रिहा कर दे, क्योंकि इससे इजरायल को गाजा पर हमला करने का बहाना मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग हमास की जिद की कीमत चुका रहे हैं। महमूद अब्बास की अपील पर टिप्पणी करते हुए हमास के वरिष्ठ नेता बासेम नईम ने कहा है कि महमूद अब्बास इजरायल के हाथों में खेल रहे हैं। एक अन्य समाचार के अनुसार महमूद अब्बास ने हमास से मांग की है कि वह अपने हथियार डाल दे और गाजा के प्रबंधन का जिम्मा फिलिस्तीनी अथॉरिटी कौ सौंप दे, क्योंकि अब अनिश्चितकाल तक गाजा में नरसंहार को सहन नहीं किया जा सकता।

हूती विद्रोहियों के खिलाफ अभियान

इंकलाब (23 अप्रैल) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि इजरायल यमन के हूती विद्रोहियों पर हमले तेज कर रहा है। उन्होंने कहा कि हूतियों ने इजरायल पर हमलों का सिलसिला जारी रखा है। अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हूती विद्रोही इजरायल और अमेरिकी जहाजों पर लगातार हमले कर रहे हैं, इसलिए हमें उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी है।

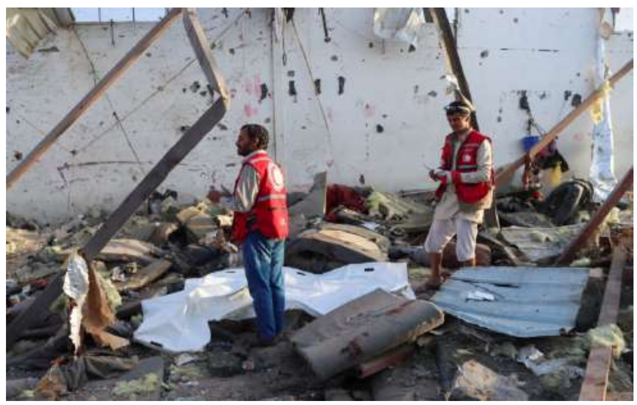

उर्दू टाइम्स (30 अप्रैल) के अनुसार यमन में अमेरिकी हमले में 68 लोग मारे गए हैं। यमन के अल-मसीरा टेलीविजन चैनल द्वारा जारी किए गए हमले की फुटेज में यह दिखाया गया है कि साना स्थित एक जेल पर बमबारी की गई है। इस जेल में अफ्रीकी प्रवासियों को नजरबंद करके रखा गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि हूतियों के सैन्य ठिकानों को हर कीमत पर तबाह कर दिया जाए। अब तक अमेरिकी सेना हूतियों के 800 से अधिक ठिकानों पर हमला कर चुकी है। इन हमलों में सैकड़ों हूती विद्रोही मारे गए हैं। इनमें मिसाइल और ड्रोन हमलों के वरिष्ठ कमांडर भी शामिल हैं। इन हमलों में कई कमांड सेंटरों, वायु रक्षा प्रणाली, हथियार और बारूद के भंडारों को तबाह किया जा चुका है। अमेरिकी सूत्रों ने पुष्टि की है कि अमेरिकी चेतावनी के बावजूद ईरान हूतियों को सैन्य सहायता उपलब्ध करा रहा है। अमेरिकी सूत्रों ने यह पुष्टि की है कि अमेरिकी विमानों ने रास ईसा तेल बंदरगाह पर बमबारी की है। इस बमबारी में सौ से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 500 लोग घायल हुए हैं।

कौमी तंजीम (29 अप्रैल) के अनुसार यमन में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले

अफ्रीकी नागरिकों को हिरासत केंद्र में रखा गया था। अमेरिका ने इस हिरासत केंद्र पर हमला किया, जिसमें 70 लोग मारे गए। हूती मीडिया ने मरने वाले लोगों के शवों के वीडियो भी जारी किए हैं। बताया जाता है कि इस हिरासत केंद्र में 150 से अधिक अफ्रीकी नागरिक बंद थे।

कौमी तंजीम (19 अप्रैल) के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि चीनी कंपनी चांग गुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लाल सागर में अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगी देशों के जहाजों को निशाना बनाने हेतु हूतियों को तस्वीरें उपलब्ध करा रही है। ब्रिटिश अखबार 'फाइनेंशियल टाइम्स' ने दावा किया है कि यह कंपनी चीनी सेना से संबंधित है। हालांकि, इस कंपनी का दावा है कि वह एक व्यापारिक संगठन है, लेकिन चीनी सेना से उसके रिश्ते जगजाहिर हैं। अमेरिका चीन सरकार से इस संदर्भ में अनेक बार विरोध प्रकट कर चुका है। हूतियों ने 2023 से लाल सागर में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों पर मिसाइलों से हमले शुरू किए थे। उन्होंने यह दावा किया था कि इजरायल गाजा में फिलिस्तीनियों के खून से होली खेल रहा है, इसलिए इस नरसंहार को रोकने के लिए वह इजरायल और उसके समर्थक देशों के जहाजों को अपना निशाना बना रहा है। उसके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इजरायल गाजा में नरसंहार बंद नहीं करता।

एक अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ ने बताया कि चीनी सैटेलाइट कंपनी चांग गुआंग के 100 से अधिक सैटेलाइट अंतरिक्ष में हैं और इस वर्ष के अंत तक उनकी संख्या 300 से अधिक हो सकती है ताकि दुनिया के किसी भी स्थान की तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए प्राप्त की जा सकें। हाल के वर्षों में अमेरिका ने दर्जनों चीनी व्यापारिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाए हैं, क्योंकि वे व्यापार की आड़ में चीनी सेना के लिए काम कर रहे थे। इस रक्षा विशेषज्ञ ने दावा किया है कि इस सैटेलाइट कंपनी का संबंध चीन के एक वरिष्ठ सैन्य जनरल झांग यूक्सिया से है, जो चीनी राष्ट्रपति के बाद चीनी सेना में दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी माने जाते हैं।

सियासत (30 अप्रैल) के अनुसार अमेरिका के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने तीन जलयान कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें ट्यूलिप बीजेड, मैसन और व्हाइट व्हेल शामिल हैं। अमेरिकी सरकार ने आरोप लगाया है कि इन कंपनियों ने हूतियों को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। गौरतलब है कि अमेरिका हूतियों को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। इन प्रतिबंधों के तहत इन कंपनियों के सभी आर्थिक संसाधनों और उनके जलयानों को जब्त कर लिया गया है। ■

सऊदी अरब में हज की शुरुआत

इंकलाब (30 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब में हज की शुरुआत हो गई है। भारत से पांच हजार हाजियों का पहला जत्था मदीना पहुंच गया है। मक्का नगर समिति ने हाजियों के रहने के लिए तीन हजार आवासीय भवनों को परमिट जारी कर दिए हैं। इन भवनों में साढ़े चार लाख कमरे हैं। इनमें 18 लाख 71 हजार 336 हाजी रह सकते हैं। सऊदी सरकार ने यह निर्देश दिया है कि हज परमिट धारक के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को सऊदी अरब में दाखिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी होटलों को यह निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को ठहरने की सुविधा न दें, जिसके पास हज परमिट न हो। सरकारी सूत्रों के अनुसार गुप्तचर एजेंसियों के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत 58 हजार लोगों को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास हज यात्रा करने के परमिट नहीं थे। इन सभी लोगों को सऊदी अरब से निष्कासित करके स्वदेश भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त 16 हजार भिखारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा चार हजार भिखारी पाकिस्तानी हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (27 अप्रैल) के अनुसार इस साल 25 लाख से अधिक विदेशी लोगों के हज करने की संभावना है। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 29 अप्रैल से हाजियों को लाने के लिए विशेष विमानों के परिचालन की शुरुआत की है। यह परिचालन 11 जुलाई तक जारी रहेगी। इस बार भीषण गर्मी से बचाने के लिए हज यात्रियों के लिए विशेष 'एहराम' की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि पिछले साल भीषण गर्मी के कारण 1500 से अधिक हाजी मारे गए थे। सऊदी सरकार ने दावा किया था कि मरने वाले अधिकांश हाजी गैर-पंजीकृत थे। ये लोग बिना परमिट के सऊदी अरब में हज करने के लिए दाखिल हुए थे। इस साल भारत का कोटा पौने दो लाख निर्धारित किया गया था। बाद में सऊदी अरब द्वारा निजी टूर ऑपरेटरों के कोटे में 80 प्रतिशत की कटौती कर दी गई थी। इसके कारण 52 हजार से अधिक भारतीय हाजी हज करने से वंचित हो गए हैं।

एतेमाद (27 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब ने फर्जी हज कमेटियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये लोग हज कराने का झांसा देकर हज यात्रा करने के इच्छुक व्यक्तियों से भारी रकम वसूलते हैं।

एतेमाद (26 अप्रैल) के अनुसार सऊदी सरकार ने टूर ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए मक्का में आवास की बुकिंग न करें, जिनके पास हज परमिट न हो।

RNI No. DELHIN/2017/72722

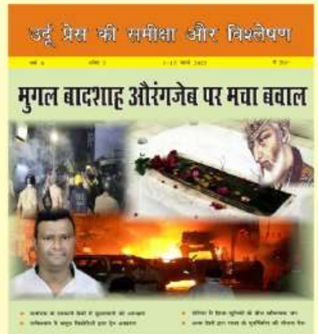

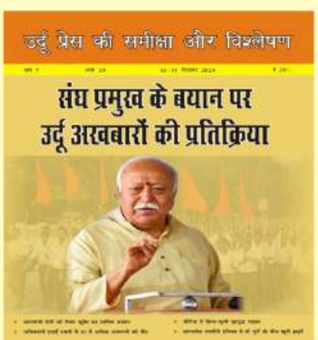

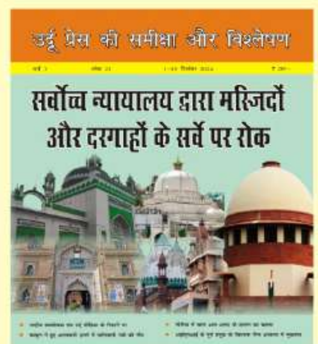

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in